सारण समाहरणालय, छपरा
जिला राजस्व शाखा

सम्पर्क सूत्रः– admchapra@gmail.com
मोबाईल न0:– 9473191268
कार्यालय न0:–06152-232357

पत्रांक 14 मु0 / दिनांक 07.03.2022

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,–सह– अपर विधि परामर्शी,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक 1255 / जे0,, दिनांक 05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत सारण जिला में मठ / मन्दिर से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है:–

क्र0	पृच्छा	प्रतिवेदन
1	"माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या–4850/2021 (ARISING OUT OF SLP(CIVIL) NO. 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरो की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नही है, सेवादार हकदार नही है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	इस संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला एवं सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए परिचारित कर अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है।
2	"अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/ अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकबा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय।	बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से कुल 360 मठ / मन्दिरों की सूची प्राप्त है, जिसमें से 206 निबंधित एवं 154 अनिबंधित है। इस सूची की जाँच संबंधित अंचल अधिकारी से कराई गई है। अंचलों से अभी तक प्राप्त प्रतिवेदनानुसार कुल 112 मठ / मंदिरों को सत्यापित किया गया है, जिसका रकबा 359.47 एकड़ है। शेष मठ / मंदिरों का भौतिक सत्यापन कार्य कराया जा रहा है।
3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिरों की भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से कुल 360 मठ / मन्दिरों की सूची प्राप्त है, जिसमें से 206 निबंधित एवं 154 अनिबंधित है। इस सूची की जाँच संबंधित अंचल अधिकारी से कराई जा रही है। अंचलों से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अनुमानित राशि के नियमानुसार आवंटन की मांग विभाग से की जायेगी।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं विक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 06मु0 / रा0, दिनांक 25.01.2022 द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को एवं पत्रांक 05मु0, दिनांक 25.01.2022 से जिला अवर निबंधक, सारण छपरा को अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन
05/03/22
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।